

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 247] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1979/श्रावण 16, 1901
No. 247] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1979/SRAVANA 16, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अभिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1979

केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सा. व. नं. 470(अ).—केंद्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व
के माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के अधिनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तों
का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अभिसूचना

सं. 36/79, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में, खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ऐसी नसवार पर फहले से संकुल शुल्क की समीक्षित राशि के संबंध में, जिसका मूल्य दस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं है और जो नसवार के विनिर्माण में प्रयोग की जाती है जिसका मूल्य दस रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है, खंड (1) में अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी, यह समझा जाएगा कि वह दो रुपए पचास पैसे प्रति किलोग्राम की दर से है, और” ।

[सं. 240/79/फ. सं. बी 7/25/79-टीआरयू]

टी. आर. रुस्तगी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 1979

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 36/79-Central Excises, dated 1st March, 1979, namely :—

In the said notification, in the proviso,—

- (a) in clause (v), the word “and” occurring at the end shall be omitted;
- (b) after clause (v), the following Explanation shall be inserted, namely :—

“Explanation.—For the purposes of this clause, the appropriate amount of duty already paid on the snuff of which the value does not exceed rupees ten per kilogram and which is used in the manufacture of snuff of which the value exceeds rupees ten per kilogram shall, notwithstanding anything contained in clause (i), be deemed to be at the rate of two rupees and fifty paise per kilogram ; and”

[No. 240/79/F. No. B. 7/25/79-TRU]

T. R. RUSTAGI, Under Secy.